न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 13/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2018/00028

अनवान

1. श्री भेरूलाल पिता स्व. मेघा कटेरीया, निवासी हाथीकाड, तह. झाडोल (फ.), उदयपुर
2. श्री रामा पिता स्व. मेघा कटेरीया, निवासी हाथीकाड, तह. झाडोल (फ), उदयपुर
3. श्री थावरा पिता स्व. मेघा कटेरीया, निवासी हाथीकाड, तह. झाडोल (फ.), उदयपुर
4. श्री कल्याण उर्फ कालिया पिता स्व. मेघा कटेरीया, निवासी हाथीकाड, तह. झाडोल (फ.), उदयपुर
5. श्री कमलेश्वर पिता स्व. मेघा कटेरीया, निवासी हाथीकाड, तह. झाडोल (फ.), उदयपुर
6. श्रीमती कमली पत्नि स्व. मेघा कटेरीया, निवासी हाथीकाड, तह. झाडोल (फ.), उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता स्व. भेरूलाल भट्ट, निवासी चंदवास, तहसील झाडोल (फ.), उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

–विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय सोनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-02-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा झाड़ोल, तहसील झाड़ोल मे खसरा संख्या 2474 रकबा 0.4400 हेक्टेयर., 2475 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7200 हेक्टेयर का आवंटन दिनांक 30.11.2005 को विपक्षी संख्या 1 के पिता भेरूलाल पिता अम्बालाल को नियम विरूद्ध किया है, क्योंकि विपक्षी संख्या 1 के पिता भूमिहीन काश्तकार नही थे एवं उनके पास गांव चंदवास में पहले से आराजी संख्या 1476 रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि स्थित थी। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर विपक्षी संख्या 1 के पिता ने आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में आवेदक की खाते की भूमि के वर्णन में नील अंकित किया है। उक्त आराजी संख्या 2475 एवं 2474 पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों को विगत लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है एवं मकान बने होकर निवास कर रहे है। आवंटन उपरान्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के पिता के नाम भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी गयी। विपक्षी संख्या 1 राजकीय सेवा में

होकर अध्यापक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थीगण द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के मध्य स्थित है। विपक्षी संख्या 1 अथवा उसके पिता का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी नही किया गया एवं विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पिता के पक्ष में किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 30.11.2005 को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। विपक्षी संख्या 1 के पिता का उक्त आराजीयात पर पुराना आधिपत्य होने से पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पूर्ण कोरम में भूमि का आवंटन किया गया है एवं आवंटन उपरान्त विपक्षी के पिता द्वारा भारी लागत लगाकर आवंटित भूमि को कृषि योग्य बनाया है एवं आवंटन शर्तो की पालना करने के फलस्वरूप से विधिवत तरीके से विपक्षी संख्या 1 के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। आवंटन के 13 वर्ष पश्चात् मात्र विपक्षी संख्या 1 को परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावानापूर्वक उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय न होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2734 दिनांक 17.12.2019 से प्रकरण में प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट में इस न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा झाड़ोल, तहसील झाड़ोल की विवादित हाल आराजी संख्या 2475 रकबा 0.2800 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 3523/2474 रकबा 0.4400 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 के पिता भेरूलाल पिता अम्बालाल ब्राह्मण सा. चंदवास रहन पी.एन.बी. शाखा झाड़ोल खातेदार दर्ज है। उक्त आराजीयात पर कब्जा प्रार्थीगण का है। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 705/2005 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वतंत्र गवाहो के शपथ पत्र पेश किये। मामले में सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना गया एवं न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस प्रारम्भ करते हुए

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण के पक्ष में होना, विपक्षी संख्या 1 का अध्यापक होना, भूमिहीन काश्तकार न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को मिथ्या बताते हुए निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- ए.आई.आर. 2000 पृष्ठ 1165
- आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 589
- आर.आर.टी. 2015 (2) पृष्ठ 790
- आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 1

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस भाग लेते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षी संख्या 1 के पास आवंटन से पूर्व की धारा 91 की रसीदे होना, कोरम पूर्ण होना, भूमि खातेदारी हक से दर्ज होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना एवं किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पिता राजकीय सेवा में नही थे एवं सदभावी काश्तकार थे एवं आवंटन की पात्रता रखने के फलस्वरूप ही विपक्षी संख्या 1 के पिता के नाम कथित भूमि का आवंटन किया गया है। चतुर्वषीय खसरा गिरदावरी में भी उक्त आराजीयात पर मक्के की फसल काश्त करना स्पष्ट जाहिर हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.बीजे. 2019 पृष्ठ 77
- आर.आर.टी 2019 (2) पृष्ठ 838
- आर.आर.टी 2016 (2) पृष्ठ 769
- आर.आर.टी 2011 (1) पृष्ठ 383
- आर.बी.जे 2019 पृष्ठ 572

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या–01 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांतों, आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी झाडोल से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 705/2005 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री भेरूलाल पिता अम्बालाल ब्राह्मण द्वारा मौजा झाडोल, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 2474, 2475 में से आवंटन हेतु आवेदन करने पर

पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पिता के नाम कथित भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त भूमि वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पिता के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा अनुसार आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 का राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर नियुक्त होने का उल्लेख किया है, किन्तु मामले में राजकीय सेवा में होने का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण में आवंटन विपक्षी संख्या 1 को न होकर विपक्षी संख्या 1 के पिता को सद्भावी काश्तकार होने के कारण किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना आवश्य दर्शाया है, किन्तु पश्चात्वर्ती कब्जे के आधार पर कथित आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उसके पिता के नाम जारी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस वर्ष 2004 एवं 2005 विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 के पिता का कब्जा था। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुराना राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 के पिता को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता पूर्ववर्ती कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा झाडोल तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 2475 रकबा 0.2800 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 2474 रकबा 0.4400 हेक्टेयर

कुल कित 02 रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 705/2005 मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.02 12:27:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: